



कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/2024/

दिनांक :- /04/2024

-:: कार्यालय आदेश ::-

अनुमोदित ले-आउट प्लान (आवासीय योजना) खसरा नम्बर 507 से 509, व 511, 514, 522, 522/563, 523/1, 607/523 ग्राम नयाखेड़ा क्षेत्रफल 50100 वर्गमीटर के ले-आउट प्लान का समिति की बैठक दिनांक 23/09/2021 में लिये गए निर्णयानुसार अनुमोदन किया गया था। उक्त योजना में आंतरिक विकास के पेटे नियमानुसार 12.5 % (प्रतिशत) में भूखण्ड संख्या O-023 से O-051 कुल भूखण्ड 29 क्षेत्रफल 3656 वर्गमीटर आरक्षित किये गये थे।

योजना में आंतरिक विकास कार्य बाबत चार्टेड इंजीनियर के पूर्णता प्रमाण-पत्र दिनांक 04/07/2023 एवम् अभियांत्रिकी शाखा (सिविल/विद्युत/जल) की रिपोर्ट के आधार पर आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के दृष्टिगत आरक्षित भूखण्ड संख्या O-023 से O-051 कुल भूखण्ड 29 क्षेत्रफल 3656 वर्गमीटर आरक्षित से मुक्त किये जाने प्रस्तावित है।

न्यास के आदेश दिनांक 12/1/2016 के अनुसार आरक्षित भूखण्डों के 10 प्रतिशत भूखण्डों की आरक्षित दर का 120 प्रतिशत अर्थात आरक्षित दर + आरक्षित दर का 20 प्रतिशत के आधार पर कीमत की 3 वर्ष के लिए बैंक गारंटी/एफ.डी.आर. लिए जाने का प्रावधान है। आवेदक द्वारा दिनांक 14/03/2024 को I.C.I.C.I बैंक एरोड्राम सर्किल, कोटा की एफ.डी.आर. जिसका क्रमांक 21650057, राशि 21,96,000/-, प्रस्तुत की गई है, जिसके फलस्वरूप भूखण्ड संख्या O-023 से O-051 कुल भूखण्ड 29 क्षेत्रफल 3656 वर्गमीटर आरक्षित से मुक्त किए जाते हैं।

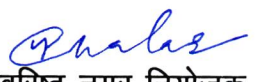
-sd-
सचिव

नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/2024/ 1959-61
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक :- 14/5/24
/04/2024

- (1) उप सचिव (द्वितीय), नगर विकास न्यास, कोटा।
- (2) रजिस्टार, रीयल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी, उद्योग भवन, द्वितीय व तृतीय तल, आर.एस.आई.सी. विंग, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, राजस्थान, जयपुर।
- ✓(3) श्री नीरज सुवालका पुत्र श्री गिरीराज प्रसाद सुवालका एवम् श्रीमति सुनीता सुवालका पत्नि श्री नीरज सुवालका निवासी 351, रिद्धि सिद्धि नगर प्रथम, कुन्हाड़ी, कोटा (राज0)।


वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा